यूपी सरकार लाएगी नई निर्यात नीति, रियायतों में होगी बढ़ोतरी

2023-24 में 20.67 अरब डॉलर का निर्यात

■ NBT रिपोर्ट, लखनऊ

उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए राज्य सरकार का फोकस निर्यातकों को बढ़ावा देने पर है। इसके लिए राज्य सरकार नई निर्यात पॉलिसी लाने की तैयारी कर रही है, जिसमें रियायतों को और बढ़ाए जाने की तैयारी है। इस नीति का मकसद देश के कुल निर्यात में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाकर 7.5% करने का है। नई निर्यात नीति 2025-30 के लिए होगी, जो मौजूदा नीति की जगह लागू होगी।

हर स्तर पर मिलेगा बढ़ावा

नई नीति में एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार निर्यातकों को मिलने वाली रियायतों में बढ़ोतरी करेगी, जिससे लैंडलॉक स्टेट होने के कारण निर्यातकों को समुद्री तट तक माल पहुंचाने के लिए जो अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ता है, उसकी भरपाई की जा सके। इसके लिए राज्य सरकार लगातार निर्यातकों और सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ बातचीत कर रही है। साथ ही एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कुछ विशेष सेक्टर पर फोकस कर विदेश में मांग के मुताबिक उत्पादन को भी बढ़ाया जाएगा। इसके लिए भी एमएसएमई और निर्यात प्रोत्साहन विभाग काम कर रहा है। इसमें विशेष तौर पर फूड प्रोसेसिंग, हैंडीक्राफ्ट और ओडीओपी प्रोडक्ट्स शामिल हैं। नई नीति में रोजगार बढ़ाने पर भी जोर होगा। राज्य पहले से ही विपणन विकास सहायता, गेटवे पोर्ट स्कीम और एयर फ्रेट रेशनलाइजेशन योजनाओं के तहत निर्यातकों को प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है।

AI Image

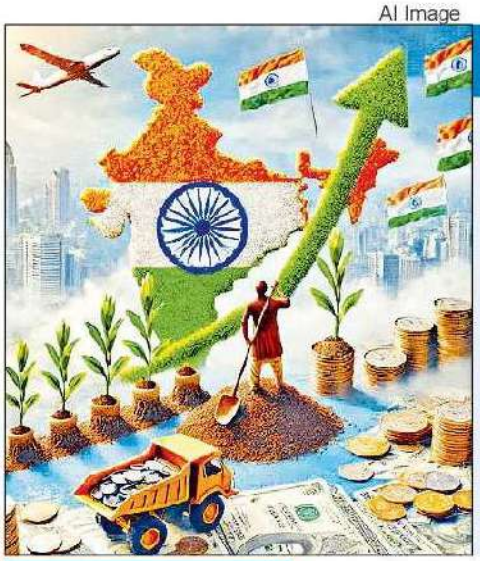

निर्यातकों को मिलने वाली रियायतें

- निर्यातकों को स्टॉल चार्ज का 60% (₹2 लाख तक) छूट
- हर साल तीन विदेशी किराये पर 50% (₹1 लाख तक) की छूट
- कुरियर चार्जेज पर भी निर्यातकों को 5 हर साल 75% (₹1 लाख तक) छूट
- इंटरनैशनल सर्टिफिकेशन पर भी निर्यातकों को 50% (₹2 लाख तक) की छूट
- गेटवे पोर्ट स्कीम में 20 फुट कंटेनर के लिए 25% (₹10 हजार तक) छूट दी जाती है
- निर्यातकों को 40 फुट कंटेनर पर ₹20 हजार की छूट मिलती है, जो सालभर में करीब 20 लाख रुपये तक पहुंच जाती है
- कार्गो से सामान भेजने पर हवाई किराये में 25₹ या ₹100 प्रति किलोग्राम, जो भी कम हो छूट दी जाती है

जेवर एयरपोर्ट शुरू होने से मिलेगा लाभ

औद्योगिक विकास एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री ने कहा कि जेवर हवाई अड्डे से निर्यातकों को विदेशी गंतव्यों से संपर्क बढ़ाने में मदद मिलेगी। हवाई अड्डे से समय और माल ढुलाई पर होने वाले खर्च में कमी आएगी। यूपी ने 2023-24 में कुल 20.67 अरब डॉलर का निर्यात किया था, जो देश के कुल निर्यात का 4.71% हिस्सा है। वर्तमान वित्तवर्ष की पहली दो तिमाहियों में भी यूपी का निर्यात 10.56 अरब डॉलर रहा, जो देश के कुल निर्यात का 4.89% है, जिसे सरकार बढ़ाकर 7.50% तक पहुंचाना चाहती है।

तीनों अथॉरिटी में प्लॉट आवंटन के लिए लागू होंगे एक नियम

■ NBT रिपोर्ट, लखनऊ : नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण एरिया में औद्योगिक भूखंडों का आवंटन के लिए नई प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई है। इसके लिए शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसके तहत ई-नीलामी और साक्षात्कार दोनों को भूखंड आवंटन का आधार बनाया गया है। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को आदेश जारी कर दिए हैं। भूखंड आवंटन की प्रक्रिया निर्धारित होने से नए प्लॉटों की आवंटन प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकेगी।

8,000 वर्ग मीटर तक के औद्योगिक प्लॉटों की होगी नीलामी

आदेश में क्या कहा?

आदेश में कहा गया है कि 8,000 वर्ग मीटर तक के भूखंड नीलामी से आवंटित होंगे। भूखंड उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को ही दिए जाएं, यह प्राधिकरण सुनिश्चित करेंगे। 8,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखंडों का आवंटन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के आधार पर इंटरव्यू के माध्यम से दिया जाएगा। प्रक्रिया में मूल्यांकन एवं आवंटन में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। इसके पहले वर्ष-2023 में विभाग ने ई-नीलामी से आवंटन हटाते हुए तीनों प्राधिकरण में औद्योगिक भूखंड आवंटन साक्षात्कार से शुरू करने की पॉलिसी बनाई थी।